न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली   प.सं. 2025/260

मु0 न0:– 91 /2025

तारीखरजू:– 09.07.2025

उनवान:– [illegible] बनाम [illegible] वगै0

दावा बावत तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

दिनांक	फर्द अहकाम	
09.07.2025	वादी की और से श्री विजय भारती एडवोकेट ने दावा बावत तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र से बाहर के रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस से तलब कर पत्रावली दिनांक 18/8/25 को पेश हो। (पूजा मीना) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली	3495-3425 9/7/25
18/8/25	~~पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित प्रतिवादी नं० 1 लगायत 7 की ओर से श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट ने मीमो पेश किया जो शामिल पत्रावली रहे। वास्ते वकालतनामा एवं जवाब दिनांक 24/9/25 को पेश हो।~~	
24.09.25	पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी नं० 1 लगायत 7 की ओर से श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली रहे। वास्ते जवाब दिनांक 12.11.25 को पेश हो।	
12.11.25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्षकारान उपस्थित। पत्रावली वास्ते राजीनामा दिनांक 21.11.25 को पेश हो।	
1.11.25	वादी वकील/वकील उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी.....[illegible] पत्रावली गतानुसार दिनांक..28.11.25 को पेश हो।	

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

दिनांक	फर्द अहकाम
28/11/25 Not press	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष [illegible] वादीगण वकील ने निवेदन किया कि हम अब मुकदमे को नहीं चलाना चाहते हैं। स्वीकृति हेतु आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। प्रतिवादी वकील ने अब प्रकरण को नोटप्रेस में खारिज करने हेतु निवेदन किया जिसे स्वीकार किया जाकर वादी का वादपत्र नोटप्रेस में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नियम से काम कर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम, जिला-करौली

Scanned with OKEN Scanner